17वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त, 2020

Notice for 17th Annual General Meeting

Tuesday, 11th August, 2020



बेंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(**प्रधान कार्यालय:** 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

अनुसूची / INDEX

नोटिस 03	Notice	15
टिप्पणियां 06	Notes	18
ई-वोटिंग 08	E-voting	19
मद क्र. 2, 3 और 4 के लिए स्पष्टीकरण कथन	Explanatory Statement to Item no.2, 3 and 4	22
ई-मेल आईडी पंजीकरण फॉर्म 27	Email ID Registration Form	28
एनईसीएस फॉर्म 29	NECS Form	30

17वीं वार्षिक साधारण बैठक / 17th Annual General Meeting

महत्वपूर्ण दिनांक और कार्यक्रम IMPORTANT DATES AND PROGRAMME

कार्यक्रम / Events	दिनांक / Date
ई-वोटिंग अवधि /	शनिवार दिनांक 08 अगस्त, 2020 को सुबह 9.00 बजे से सोमवार, दिनांक 10 अगस्त, 2020 को शाम 5.00 बजे तक
E-Voting period	From 9.00 a.m., Saturday, 08 th August, 2020 till 05.00 p.m, Monday, 10 th August, 2020
बही बंदी /	बुधवार, दिनांक 5 अगस्त 2020 से मंगलवार, 11 अगस्त 2020 (दोनों दिनों को मिलाकर)
Book Closure	Wednesday, 05 th August, 2020 to Tuesday, 11 th August, 2020 (both days inclusive)
वार्षिक साधारण बैठक का दिनांक और समय	मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त, 2020 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा
Date & Time of Annual General Meeting	On Tuesday, 11 th August, 2020 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

टिप्पणी: कृपया बैंक की 17वीं वार्षिक आम बैठक में वीसी या ओएवीएम द्वारा भाग लेने और शामिल होने से संबंधित निर्देशों के लिए पृष्ठ संख्या 10 या 21 देखें. Note: Please refer to page no.10 or 21 for instructions related to participation and joining the 17th Annual General Meeting of Bank through VC or OAVM.



एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पूणे 411 005.

नोटिस

एतदद्वारा **नोटिस** दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त, 2020 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा निम्नलिखित हेतु आयोजित की जाएगी :

सामान्य व्यवसाय:

मद क्रमांक 1

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते और उसी दिन समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, बैंक के खातों और तुलनपत्र व खातों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियों तथा कार्यीनेष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना।

विशेष व्यवसाय:

मद क्रमांक 2

बैंक द्वारा अधिमानी आधार पर भारत सरकार को प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर जारी करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः

''प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (''अधिनियम''), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (''योजना'') और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (''विनियम''), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक (''आरबीआई''), भारत सरकार (''जीओआई''), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (''सेबी'') और या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरियाँ, यिद कोई हो, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्तों पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, और बैंक के शेयरधारकों की सहमित से समय-समय पर संशोधित सेबी (पूंजी जारी करना और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ('' सेबी आईसीडीआर विनियम'') के अध्यधीन, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिनियमों तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ प्रविष्ट लिस्टिंग अनिवार्यताएं, जहां बैंक के इिकटी शेयर सूचीबद्ध हैं तथा जिसे बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे ''बोर्ड'' कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई सिमित जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) द्वारा अभिलेखित किया गया है तािक अधिमानी आधार पर भारत सरकार (''जीओआई'') को संयुक्त रूप से ₹831 करोड़ (रुपए आठ सौ इकतीस करोड़ केवल) सेबी के आईसीडीआर विनियम के अधिनयम 164 के अनुसरण में निर्धारित ₹11.29 (प्रीमियम सिहत) मूल्य पर नकदी हेतु प्रत्येक ₹10/- के 73,60,49,601 इक्विटी शेयरों की निर्मित, प्रस्ताव, आबंटन की जा सके।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि 10 जुलाई, 2020 निर्धारित है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार/ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमित, अनुमित तथा मंजूरी प्रदान करते / देते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समक्ष समरूप स्थान दिया जाएगा और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतू पात्र होंगे।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त जारी होने वाले नए इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाएगा जहां नए इक्विटी शेयर के आबंटन के दिनांक को बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने के संदर्भ में किसी प्रश्न, किटनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमित प्रदान की है, सभी दस्तावेजो व लिखितों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्द्वारा उसे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे इस उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेत् उचित समझे, यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेत् प्राधिकृत किया जाता है।

मद क्र. 3

एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से पूंजी उगाहना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः

''**प्रस्ताव किया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (''अधिनियम''), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (''योजना'') और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (''विनियम''), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक (''आरबीआई''), भारत सरकार (''जीओआई''), भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (''सेबी'') और/ या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, और विनियम यथा सेबी (पुंजी जारी करना और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (''आईसीडीआर विनियम'') के अध्यधीन, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सेबी) की अधिसुचनाओं/परिपत्रों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य लागू क़ानुनों व अन्य सभी संदर्भित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार यथा संशोधित/ अद्यतन दिशानिर्देशों, यदि कोई हों और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अधीन, एतदब्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे '' **बोर्ड**'' कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई समिति जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो अधिनयम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार भारत और विदेशों में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणपत्र या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी सीमा के अंदर ₹10/- प्रत्येक के अंकित मुल्य के, समग्र रूप से जो ₹2000/- करोड (दो हजार करोड रुपए मात्र) से अधिक न हों, इक्विटी शेयरों का (फर्म आबंटन के लिए और/ अथवा निर्गम का कोई भाग प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथासमय लागू कानून द्वारा अनुमत्य श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करेगा, ताकि हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% केंद्र सरकार के पास हो, चाहे वे बाजार मुल्य के प्रीमियम पर किसी एक या अधिक ट्रेंच, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (''**एनआरआई**''), कंपनियों - निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, के लिए में, योग्य संस्थागत खरीदारों (''**क्युआईबी**'') जैसे विदेशी संविभाग निवेशकों ''(**एफपीआई**)'', बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्युनुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पुंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों या जो वर्तमान विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की इक्विटी शेयरों / प्रतिभृति में निवेश करने के लिए अधिकृत हों, या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी संमिश्र के रूप में हों।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन या तो सार्वजिनक निर्गम, राईट्स इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), अधिमानी इश्यू या तत्संबंधी संमिश्र अनुसार या अधि-आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018 (''आईसीडीआर विनियम'') और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) व किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे समय, उतनी बार में, ऐसी पद्धित से और ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो निदेशक मंडल को उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उचित लगता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/ या हामीदारों (अंडरराईटर) और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित ऐसी शार्तों और दिशानिर्देशों, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के उपबंधों के अनुसार बैंक के निवेशक(कों), चाहें वे बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या न हों, हेतु ऐसी कीमत या ऐसी रीति से शेयर की कीमतें तय करने का अधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत से कम नहीं होंगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संबंधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों (एलओडीआर विनियमों), अधिनियम, विनियमों के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के निवासी द्वारा जारी या हस्तांतिरत निर्गम) विनियम 2017 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), शेयर बाजारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और यथावश्यक अन्य सभी प्राधिकारियों (इसके बाद जिसे ''समुचित प्राधिकारी'' कहा जाएगा) से अपेक्षित स्वीकृति, सहमित, अनुमति और/या ऐसा अनुमोदन (इसके बाद जिसे ''अपेक्षित अनुमोदन'' कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक मंडल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, एक या अधिक ट्रेंच में, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय आठ में उल्लिखित है, के तहत प्लेसमेंट दस्तावेज/ लेखन / परिपत्र / ज्ञापन और ऐसी पद्धित से और ऐसी कीमत पर और ऐसी शर्तों पर, जो आईसीडीआर विनियम या यथासमय विद्यमान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्धिरत की गई हो, योग्य संस्थागत खरीदारों (''क्यूआईबी'') (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में परिभाषित किए अनुस्पर) के लिए वारंट को छोड़कर, इक्विटी शेयर या किसी प्रतिभूति का इस रूप से सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सकता है, जो एक बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में इस प्रकार परिवर्तनीय हों या उनकी अदला-बदली की जा सकती हो, कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी गूंजी का 51% से कम हिस्सा न हो।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में -

क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार केवल योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन को इस प्रस्ताव की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

- ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक, विनियमों के अनुसार अधिकृत आधार मूल्य में अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर खरीदने की पेशकश कर सकता है।
- ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक दिनांक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी ।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार/ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमित, अनुमित तथा मंजूरी प्रदान करते / देते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नए ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/ अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन, यदि कोई हो, यथालागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त जारी होने वाले नए इक्विटी शेयर, यथासंशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि किसी निर्गम या इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निदेशक मंडल को, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना हो, ऐसे निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम के मूल्य, निदेशक मंडल को अपने पूर्ण अधिकार से जो उचित लगे, निर्गम की प्रीमियम राशि तय करने, ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने या सार्वजिनक निर्गम जारी होने, आबंटन और निर्गम आय के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रश्न, किटानाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित अनुदेश जारी करने, निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के सर्वोत्तम हित में जैसा उचित समझे, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए और ऐसे संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, सुधार, विलोपन, अतिरिक्त नियम और शर्तों जोड़ने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना इनको प्रभाव देने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक व निदेशक मंडल को प्रदत्त कोई या सभी शक्तियों का निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को इसके द्वारा किसी भी बुक-रनर (रनर्स)/ अग्रणी प्रबंधक(कों)/ हामीदार(रों)/ निक्षेपक(कों)/ राजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध और शामिल ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और ऐसी सभी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए और ऐसी सभी एजेंसियों व संस्थानों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने और इसमें प्रवेश भी करने और ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापन, दस्तावेजों, आदि को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों (अंडरराइटरों), अन्य सलाहकारों और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से एतद्द्वारा निर्गम(निर्गमों) के स्वरूप और शर्तों, निवेशकों के वर्ग सिंहत जिन्हें शेयर/ प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित होने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो सिंहत), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के उन्मोचन/ वारंट/ प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन की प्रीमियम राशि, ब्याज की दर, शोधन अवधि, परिवर्तित, उन्मोचित या निरस्तिकरण के आधार पर अन्य प्रतिभूतियों या ईक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन का प्रीमियम, ब्याज की दर, अभिलेख दिनांक या लेखा बंदी दिनांक और उससे संबंधित आक्तिसक मामले, भारत और/ अथवा विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के बारे में निदेशक मंडल को संपूर्ण विवेकाधिकार में, जैसा उचित समझें, निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि अनिभदत्त ईक्विटी शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में, जिस रूप में वह उचित समझे, और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत्य हो, इन शेयरों की बिक्री के बारे में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने/ प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, किठनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमित प्रदान की है, सभी दस्तावेजो व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्द्वारा उसे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या सिमित जिसे इस उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेतु उचित समझे, यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

मद क्र. 4

31.03.2020 को बैंक की संचयी हानियों का समंजन करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः

'प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनयम, 1970 (अधिनयम) की धारा 3(2बीबीए), यथासंशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2) जिसमें कोई सांविधिक संशोधन या उसका पुनर्अधिनियमन शामिल है और जो भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और इस संबंध में आवश्यक समझे गए किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन, सहमित, अनुमित और मंजूरियों, यदि कोई हो, के अधीन है, के अनुसरण में एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमित प्रवान की जाती है कि समंजन के दिनांक को बैंक के विशेष आरक्षित खाते से एवं 'शेयर प्रीमियम खाते' को जमा धारित शेष का इस्तेमाल कर 31.03.2020 को ₹ 7349,50,10,888.86 (सात हजार तीन सौ उन्चास करोड़ पचास लाख दस हजार आठ सौ अठासी रुपए और छियासी पैसे मात्र) की संचयी हानियों के समंजन हेतु राशि उपयोग की जाए तथा इसे चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ध्यान में लिया जाए।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उक्त प्रस्ताव के लिए निदेशक मंडल या निदेशक मंडल की किसी समिति को एतद्द्वारा प्रस्ताव के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक या वांछित माने गए ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने और इस संदर्भ में उत्पन्न हो सकनेवाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु, इसके संपूर्ण विवेकाधिकार में प्राधिकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 15 जुलाई, 2020

स्थानः पुणे

(ए. एस. राजीव) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणियां :

1. बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां मद क्र. 2,3 और 4 में संलग्न हैं।

2. जारी कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पढ़े गए 5 मई, 2020 के परिपत्र द्वारा एक आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम (''एजीएम'') का आयोजन करने की अनुमित प्रदान की है। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम''), सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (''सेबी लिस्टिंग विनियम'') और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक का 17वां एजीएम वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। अतः केवल वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से सदस्य आगामी एजीएम में सहभाग ले सकते हैं। प्रधान कार्यालय को एजीएम का स्थान माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

एमसीए परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियम 2004 के विनियम 70 (vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए अनुपलब्ध रहेगी। अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति और उपस्थिति पर्ची को यहां संलग्न नहीं किया जा रहा है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक िक वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए जिसमें वह पारित किया गया हो तथा वह ई-मेल investor_services@mahabank.co.in पर वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से न्यूनतम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 07 अगस्त 2020 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए।

- 5. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठक) विनियम, 2004 के अंतर्गत कोरम की जांच हेतु सम्मिलित किया जाएगा।
- 6. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा सीडीएसएल https: www.evotingindia.com की वेबसाइट पर पर भी उपलब्ध होगी।
- 7. चुंकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा, अतः इस नोटिस में रूट मैप को संलग्न नहीं किया गया है।
- 8. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दुरस्थ ई-मतदान, वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम पर मतदान से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश अलग से

दिए गए हैं।

- 9. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व और उसके पश्चात् वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने की सुविधा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें उन बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयर धारित करने वाले सदस्य), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमित है।
- 10. बैंक के जिन शेयरधारकों ने बैंक/ डिपॉजिटरी/ आरटीए के साथ अपने ई-मेल को पंजीकृत नहीं कराया है, वे <u>investor_services@mahabank.co.in/</u> helpdeskmum@mcsregistrars.com पर ई-मेल भेजकर एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

11. बहियों का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही **बुधवार, दिनांक 5 अगस्त 2020 से मंगलवार, 11 अगस्त 2020** (दोनों दिनों को मिलाकर) तक 17वीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए बंद रहेंगे। एजीएम में मतदान और दूरस्थ ई-वोटिंग के उद्देश्य से अंतिम दिनांक मंगलवार, 04 अगस्त, 2020 है। कोई भी व्यक्ति जो अंतिम तारीख पर सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ लें।

- 12. संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रदर्शित होता है, एजीएम में वोट देने का हकदार होगा।
- 13. खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के बारे में किसी भी जानकारी की मांग करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे <u>investor_services@mahabank.co.in</u> पर ई-मेल के माध्यम से बुधवार, 05 अगस्त, 2020 को या पहले बैंक को मेल भेजें। इसका उत्तर बैंक द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

14. पते / बैंक विवरणों / बैंक खाता अधिदेश / ईमेल आईडी के परिवर्तन का अद्यतन:

वे सदस्य जो डिमैट रूप में शेयर धारण कर रहे हैं और अभी तक अपना ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य केवाईसी विवरणों को पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकरण करें, ताकि बैंक इसका उपयोग संपर्क और इसके बाद उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज प्रदान करने के लिए कर सके। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे आरटीए को, यदि पहले से उपलब्ध नहीं किए गए हैं, अपना ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और पैन सहित अन्य केवाईसी दस्तावेज निम्न पते पर प्रदान करें:

एमसीएस शेयर टांसफर एजेंट लिमिटेड.

(युनिटः बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

कार्यालय नंबर 201, डी विंग, दूसरी मंजिल, गोकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट बिल्डिंग, सागबाग मरोल को-ऑप इंडस्ट्रियल एरिया, बी /एच टाइम्स स्क्वायर, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400 059

दूरभाष: 022 28516020/21/22/23

ईमेल: helpdeskmum@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com

15. फोलियो का समेकन :

एक से अधिक फोलियो/ खाते के अंतर्गत नामों के समरूप क्रम में भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाणपत्र सहित ऐसे खातों के लेजर फोलियो सूचित करें ताकि वो सभी धारिताओं को एक खाते में समेकित कर सके। आवश्यक पुष्ठांकन करने के पश्चात शेयरधारकों को शेयर प्रमाणपत्र यथासमय वापस कर दिए जाएंगे।

16. भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बदलना :

सेबी ने हाल ही में सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोध को 01 अप्रैल, 2019 से स्वीकार करने से रोक दिया गया है। इस तिथि के बाद भी जो शेयरधारक भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, वे आगे हस्तांतरण के लिए बैंक / इसके आरटीए के साथ शेयरों को दर्ज करने में सक्षम नहीं होंगे। शेयरधारक यदि किसी हस्तांतरण को प्रभावित करना चाहते हैं तो उन्हें इनको अनिवार्य रूप से डीमैट फॉर्म में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी। केवल भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के प्रसारण और हस्तांतरण के अनुरोध, आरटीए द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपना पैन जमा करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खातों का रखरखाव कर रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना पैन और अन्य विवरण बैंक के आरएंडटी एजेंटों को दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के सेबी परिपत्र SEBI / HO / MIRSD / DOP1 / CIR / P / 2018/73 के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

17. अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश, यदि कुछ हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अविध तक अप्रदत्त/ अदावाकृत रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित ''निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि'' (आईईपीएफ), को अंतरित की जाएगी।

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों (वर्ष 2012-13 और उससे आगे) के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है, उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से या उपर्युक्त पते पर पुणे में बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क करें।

18. मतदान अधिकार:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रजिस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्तधारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा और बैठक में केवल वही कार्यसूची मदों पर रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

19. ई-वोटिंग प्रक्रिया :

क. कार्यसूची मदों 1, 2, 3 और 4 के लिए नियत दिनांक:

यथासंशोधित कंपनियां (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में कार्यसूची मद क्र.1, 2, 3 और 4 के संबंध में शेयरधारकों का मतदान अधिकार **मंगलवार, 04 अगस्त, 2020** को माना जाएगा।

ख. **रिमोट ई-वोटिंग** :

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएंअनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग एलैटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। निर्दिष्ट दिनांक और/या नियत दिनांक को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमटेरियलाईज्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। शनिवार दिनांक 08 अगस्त, 2020 को सुबह 9.00 बजे से सोमवार, दिनांक 10 अगस्त, 2020 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धित निम्नानुसार है -

- क. ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें -
 - (i) निम्नलिखित यूआरएल टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर लांच करें https://www.evotingindia.com/
 - (ii) शेयरहोल्डर लॉग-इन पर क्लिक करें
 - (iii) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
 - क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी
 - ख. प्नप्सडीप्ल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी
 - ा. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें
 - (iv) अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।

- (v) यदि आपने अपने शेयर डीमैट रूप में धारित किए हैं और <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉग-इन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाना है।
- (vi) यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन * प्रविष्ट करे (डीमैट शेयरधारकों के साथ ही भौतिक शेयरधारकों दोनों पर लागू)
	 जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले 2 अक्षरों का तथा अनुक्रम क्रमांक (sequence number) के 8 अंकों का उपयोग करें।
	 यदि अनुक्रम क्रमांक 8 अंकों से कम है तो बड़े अक्षरों में नाम के पहले 2 अक्षरों के पश्चात क्रमांक से पूर्व लागू संख्या में शून्य प्रविष्ट करें। उदाहरण यदि आपका नाम रमेश कुमार है और आपका अनुक्रम क्रमांक 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए बैंक/आरटीए के अभिलेख में या आपके डीमैट खाते में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (dd/mm/yy प्रारूप में) प्रविष्ट करें।
	 यदि डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया अनुदेश (iii) में उल्लेख किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।

- vii) ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात ''सबिमट'' टैब पर क्लिक करें।
- viii) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अब ''पासवर्ड क्रिएशन'' मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।
- ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।
- x) अापने जिस पर वोट करने का चयन किया है उस संबंधित <BANK OF MAHARASHTRA> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हां/ नहीं" विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सहमित देते हैं और विकल्प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो ''रिजॉल्यूशन्स फाइल लिंक'' पर क्लिक करें। कार्यसूची मद क्र.1, 2, 3 और 4 के लिए
- xiii) मतदान पृष्ठ पर नियत दिनांक (04 अगस्त, 2020) को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी।
- xiv) कार्यसूची मद क्र.1, 2, 3 और 4 के संबंध में, आप मामले के अनुसार एसेंट या डिसेंट पर क्लिक कर सकते हैं। उचित विकल्प का चयन करके अपना मत दें और ''सब्मिट'' पर क्लिक करें और प्रदर्शित होने पर ''कनफर्म'' पर क्लिक करें।
- xv) एक पुष्टि (कन्फर्मेशन) बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ''ओके'' पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट में परिवर्तन करने के लिए ''कैन्सल'' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।
- xvi) एक बार संकल्प पर अपना वोट ''कन्फर्म'' करने के पश्चात आपको अपने वोट में संशोधन की अनुमित नहीं होगी।
- xvii) आप वोटिंग पृष्ठ पर ''क्लिक हियर टू प्रिंट'' विकल्प पर क्लिक कर किए गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xviii) यदि आपके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और आप अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आई-डी और इमेज सत्यापन कोड टाइप करें तथा फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं सिस्टम द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करें।

xix) शेयरधारक एनड्रॉयड आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम-वोटिंग के माध्यम से भी वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप्पल और विंडोज फोन का इस्तेमाल करनेवाले लोग क्रमशः ऐप स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल से वोट करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए दिशानिर्देशों का पालन करें।

xx) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट

- क) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि को छोड़कर) और अभिरक्षकों से अनुरोध है कि www.evotingindia.com पर लॉग-इन करें और स्वयं को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत करें।
- ख) इकाई के हस्ताक्षर और मुहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर तथा सीसी <u>scrutiniser@snaco.net</u> ई-मेल की जाए।
- ग) लॉग-इन ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात एडिमन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग कर ते हुए एक कम्प्लायन्स यूजर निर्मित किया जाए। कम्प्लायन्स यूजर उस खाते(खातों) को लिंक करने में समर्थ होगा जिनके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं।
- घ) लॉग-इन में लिंक खातों की सूची <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट डालने में समर्थ होंगे।
- ङ) बोर्ड रिजोल्यूशन और मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति संवीक्षक के सत्यापन हेतु प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।

यदि ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग और एजीएम में सहभाग लेने से संबंधित आपकी कोई शंका या प्रश्न है तो आप www.evotingindia. com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या आप श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दळवी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं।

ख. शेयरधारक अद्यतित ई-वोटिंग अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाईट <u>www.bankofmaharashtra.in</u> के मुख-पृष्ठ पर निवेशक सेवाएं लिंक को भेंट दे सकते हैं।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने वाले सदस्यों के लिए निर्देश:

- एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सदस्य (मेंबर)/ मेंबर लॉग-इन के माध्यम से https://www.evotingindia.com पर सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी / ओएवीएम सुविधा को एक्सेस कर सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य (मेंबर) लॉग-इन में उपलब्ध होगी, जहां बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
- 2. सदस्यों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आईपीपैड के माध्यम से एजीएम में शामिल हों।
- 3. बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को कैमरा एक्सेस की अनुमित देने और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
- 4. प्रतिभागी मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने पर अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो की क्षति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपर्युक्त किसी भी प्रकार की खामियों/ कठिनाईयों को कम करने के लिए उचित वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- 5. वे सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 05 अगस्त, 2020 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से 07 अगस्त, 2020 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) तक की अवधि के दौरान ई-मेल के माध्यम से अग्रिम रूप से अपना अनुरोध investor_services@mahabank.co.in पर भेजकर खुद को एक वक्ता (speaker) के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। इस अनुरोध में अपना नाम, डीमैट खाता क्रमांक / फोलियो क्रमांक, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करें।
- 6. वे सदस्य जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ शंकाएं हैं तो वे अपनी शंकाएं 05 अगस्त, 2020 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) तक investor_services@mahabank.co.in पर अग्रिम रूप से भेज सकते हैं, इस में अपना नाम, डीमैट खाता क्रमांक / फोलियो क्रमांक, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करें। इन शंकाओं का उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल के माध्यम से उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
- 7. वे सदस्य जिन्होंने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमित होगी। बैंक एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है।

एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए उम्मीदवारों हेतू निर्देश:

- 1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर उल्लेख किए गए निर्देशों के ही समान है।
- 2. केवल वे सदस्य, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन पर ऐसा करने से कोई प्रतिबंध नहीं है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
- 3. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और अगर उन्हीं सदस्यों ने वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा, क्योंकि ई-वोटिंग की सुविधा बैठक के दौरान केवल बैठक में भाग लेने सदस्यों के लिए उपलब्ध है।
- 4. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में सहभाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. वार्षिक साधारण बैठक में संवीक्षक :

17वीं वार्षिक साधारण बैठक में आयोजित की जानेवाली रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी. कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे संवीक्षक का कार्य करेंगे।

4. ई-वोटिंग का परिणाम:

वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट <u>www.bankofmaharashtra.in</u> पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण कथन:

एजेंडा मद क्र. 2:

सेबी (आईसीडीआर) विनिमय, 2018 के अनुसार किए जानेवाले अपेक्षित प्रकटन

(ङ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपने दिनांक 17 मार्च, 2020 के संप्रेषण द्वारा सूचित किया है कि भारत सरकार (जीओआई) के पक्ष में इक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक को पूंजी के रूप में ₹831 करोड़ (रुपए आठ सौ इकतीस करोड़ मात्र) देने का निर्णय लिया है. भारत सरकार (जीओआई) द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2020 को आवेदन राशि भी प्रेषित की गई है तथा इसे एक अलग खाता बनाकर रखा गया है. निदेशक मंडल ने 10.07.2020 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर समग्रतः ₹831 करोड़ (प्रिमियम सिंहत) के बैंक के इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया है. उगाही गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार एवं बैंक की व्यवसाय वृद्धि हेतु निधियन के लिए किया जाएगा.

(च) जारी की जाने वाली निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या:

सेबी विनियम 2018 (पूंजी निर्गमन और प्रकटन आवश्यकता) के विनियम 161 के अनुसरण में, प्रासंगिक दिनांक शुक्रवार, 10 जुलाई, 2020 है और निर्गम मूल्य की गणना सेबी विनियम 2018 (पूंजी निर्गमन और प्रकटन आवश्यकता) के निवियम 164 के अनुसार की जाएगी। प्रासंगिक तिथि के आधार पर, निर्गम मूल्य प्रति इक्विटीशेयर ₹11.29 होगा। बैंक ₹10/- प्रत्येक के 736049601 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित करेगा।

(छ) निर्गम से पहले और बाद में शेयरहोल्डिंग पैटर्नः

निर्गम से पहले:

		शेयर प्रीमियम खाते की कमी से पूर्व		शेयर प्रीमियम खाते की कमी के पश्चात	
क्र.	श्रेणी	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	प्रवर्तक की धारिता	5386578326	92.49	6122627927	93.33
2	गैर प्रवर्तक धारिता	437530974	7.51	437530974	6.67
	कुल	5824109300	100.00	6560158901	100.00

- (ज) जैसा कि पूरा निर्गम भारत सरकार, (बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक) के लिए किया जा रहा है, बैंक के प्रबंधन /नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।
- (झ) विशेष संकल्प के लिए आबंटन इस तरह का संकल्प पारित होने के दिनांक से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, बशर्ते कि सेबी (एसएएसटी) विनियम, 2011 की प्रयोज्यता से छूट के लिए कोई आवेदन या कोई अनुमित या कोई अनुमोदन आवंटन के लिए किसी भी विनियामक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा लंबित हो तो, इस तरह के आवेदन पर मामले के अनुसार, आदेश की तारीख या अनुमोदन या अनुमित की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की गणना की जाएगी।
- (ञ) भारत सरकार (जीओआई) को अधिमानी आधार पर जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित और आवंटित किए गए सभी शेयरों को सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के विनियमन 167 के अनुसरण में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दी गई नए इक्विटी शेयरों की ''ट्रेडिंग अनुमोदन'' की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा।
- (ट) नए इक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग अनुमोदन के दिनांक से भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी शेयरधारिता को प्रासंगिक तारीख से आरंभ कर छह महीने की अवधि के लिए लॉक-इन कर दिया जाएगा।
- (ठ) सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक(कों) द्वारा जारी प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसरण में किया जा रहा है, यह बैंक की वेबसाइट पर और बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम पर विचार करनेवाली एजीएम के परिणामों की घोषणा के दिनांक तक उपलब्ध होगा।
- (ड) 🏻 बैंक इन विनियमों के प्रावधान के संदर्भ में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनः गणना करने का कार्य करता है, जहाँ ऐसा करना आवश्यक है।
- (ढ़) बैंक यह वचन देता है कि यदि मूल्य की पुनर्गणना के कारण कोई रकम देय होती है जिसका इन विनियमों में अनुबंधित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं हुआ है तो आबंटिती (allottee) द्वारा ऐसी रकम के भुगतान किए जाने के समय तक विशिष्ट प्रतिभूतियों को लॉक-इन रखना जारी रखा जाएगा.
- (ण) बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट में विनिर्दिष्ट किए अनुसार ईक्विटी शेयरों के सतत सूचीकरण की शर्तों का अनुपालन कर रहा है.
- (त) भारत सरकार ने प्रासंगिक दिनांक से पूर्व 6 माह की अवधि के दौरान बैंक के किसी ईक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की हैं. इसके साथ ही, जारीकर्ता बैंक में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा धारित सभी ईक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज्ड (बेकागजीकृत) स्वरूप में धारित हैं.
- (थ) चूंकि प्रस्तावित अधिमानी निर्गम से पहले भारत सरकार (GoI) की शेयरहोल्डिंग 75% से अधिक है, अतः सेबी एसएएसटी विनियमों, 2011 की प्रयोज्यता में छूट प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
- द) बैंक या इसके प्रवर्तक या इसके कोई भी निदेशक इरादतन चूककर्ता नहीं हैं, आईसीडीआर विनियम की अनुसूची VI में विनिर्दिष्टानुसार प्रकटन लागु नहीं है।
- ध) बैंक का कोई भी निदेशक फरार आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल, सूचना में उल्लेख किए अनुसार विशेष संकल्प को पारित करने की सिफ़ारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक/ मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों का ऊपर उल्लिखित संकल्प में कोई हित या किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है।

मद क्र. 3: एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से पूंजी की उगाही

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक को 31.03.2020 को बेसल-III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का न्यूनतम 10.875% सीआरएआर बनाए रखना है, जिसमें 5.50% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी (सीईटी 1) की एक शर्त शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैंकों को मार्च 2016 से मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) प्रदान करना चाहिए और यह सीसीबी सीईटी 1 के रूप में होना चाहिए। यद्यिप, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31.03.2019 से 31.03.2020 तक 0.625% की अंतिम किश्त के कार्यान्वयन को स्थिगत कर दिया गया। बेसल III ढांचे के अनुसार 31.03.2020 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.52% था जिसमें सीईटी 1 के साथ टीयर-I पूंजी (सीसीबी सिंहत) 10.67% थी। सीसीबी के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और वार्षिक व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक ने ₹2000/- करोड़ की पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है।
- (ii) उपर्युक्तानुसार आवश्यक पूंजी को केंद्र सरकार से पूंजी सहयोग, यिद कोई हो, सिहत एफपीओ/ राईट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन इत्यादि के माध्यम से बाजार से उगाहा जाना प्रस्तावित है। इन विकल्पों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और विद्यमान बाजार स्थितियों के अनुसार किया जाएगा।

- (iii) भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य ऐसे प्राधिकारियों के अनुमोदन से और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुमोदन एवं सेबी तथा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संगत दिशानिर्देशों/ विनियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित ईक्विटी पूंजी उगाही जाएगी।
- (iv) निदेशक मंडल ने 10 जुलाई, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से ₹2000/- करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की ईक्विटी पूंजी की उगाही करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।
- (v) एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से ₹3000/- करोड़ तक पूंजी उगाहने के लिए 27 जून, 2019 को आयोजित 16वीं वार्षिक साधारण बैठक में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। सेबी विनियमों के अनुसार संकल्प की वैधता ऐसे क्यूआईपी के लिए बारह माह हेतु प्रतिबंधित है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शेयरधारकों का अनुमोदन एतदद्वारा एक बार पुनः मांगा जाता है।
- (vi) जारी इक्विटी शेयरों को लाभांश सहित बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ हर प्रकार से समरूप रैंक किया जाएगा।

निदेशक मंडल ने नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की।

बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति की कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है।

मद क्र. 4:

31.03.2020 को बैंक की संचयी हानि का समंजन

- (i) 31.03.2020 को बैंक की ₹ 7349,50,10,888.86 (सात हजार तीन सौ उन्चास करोड़ पचास लाख दस हजार आठ सौ अठासी रुपए और छियासी पैसे मात्र) संचयी हानियों के समंजन के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम तथा राजस्व आरक्षित खाते के जमा में बकाया राशि के उपयोग का बैंक प्रस्ताव करता है तदनसार समंजन की तिथि तथा चाल वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इसे खाते में लिया जाता है।
- (ii) उक्त प्रस्तावित शेयर प्रीमियम कमी, यदि अनुमोदित होती है और उसे अंतिम रूप दिया जाता है, का प्रभाव तदनुसार कम किया जाएगा जो वह संचयी हानि होगी जो 31.03.2020 को ₹ 7349,50,10,888.86 (सात हजार तीन सौ उन्चास करोड़ पचास लाख दस हजार आठ सौ अठासी रुपए और छियासी पैसे मात्र) करोड़ रही।
- (iii) बैंक वर्तमान परिदृश्य में बैंक के उपलब्ध बहुत व्यवहार्य तथा आर्थिक कुशल विकल्प का दृष्टिकोण रखता है ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति की सही और स्पष्ट स्थिति प्रस्तृत की जाएगी।
- (iv) बैंक अपनी सही वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने में सक्षम होगा जो शेयरधारकों के लिए लाभकारी होगा क्योंकि उनकी धारिताएं बेहतर मूल्य अर्जित करेंगी और साथ ही बैंक को उसके शेयरधारकों के लाभ हेतु और अधिक अवसरों की प्राप्ति में भी सक्षम बनाएगा जो एक व्यवहार्य समय-सीमा के भीतर लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान के रूप में शामिल होगा। यह प्रस्ताव बैंक को एक समयबद्ध तरीके से अपनी टर्न अराउंड योजनाओं को प्राप्त करने हेतु बेहतर स्थिति में लाएगा।
- (v) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार कोई प्रदत्त पूंजी जो गुम गई है या उपलब्ध अस्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, के निरस्तिकरण द्वारा इसकी प्रदत्त पूंजी को कम करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 को संशोधित कर (राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) संशोधित योजना 2020) इसे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसरण में प्रदत्त पूंजी को कम करने के लिए इसी पद्धित को लागू करने के माध्यम से शेयर प्रीमियम खाते से किसी राशि को संगत करने की अनुमित देता है।
- (vi) चूंकि संचयी हानियों के समंजन के उद्देश्य हेतु बैंक के शेयर प्रीमियम खाते का प्रस्तावित उपयोग एक पूंजी कमी माना जाना है, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बीबीए) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से मांगा जा रहा है जो शेयरधारकों के अनुमोदन के साथ एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से बैंक की प्रदत्त पूंजी की कमी की अनुमित देता है।
- (vii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) के अनुसार जब बैंक शेयर प्रीमियम खाते से किसी राशि या राशियों का विनियोजन करता है तो यह ऐसे विनियोजन के दिनांक से इक्कीस दिनों के भीतर होगा और ऐसे विनियोजन से संबंधित परिस्थितियों को विस्तार से बताते हुए तथ्य की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को की जाएगी। बैंक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर इस आवश्यकता का अनुपालन करेगा। इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- (viii) शेयर प्रीमियम खाते की कमी जिसमें शेयर प्रीमियम खाते के जमा हेतु बकाया राशि की कमी द्वारा लाभ व हानि खाते में नामे शेष का समंजन शामिल है, अपने शेयरधारकों के प्रति बैंक द्वारा किसी प्रतिफल के उन्मोचन का पात्र नहीं होती। तदनुसार बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयर प्रीमियम खाते की कमी पश्चात शेयरधारिता पद्धति अपरिवर्तित रहेगी। शेयर के बही मुल्य को भी अपरिवर्तित रखा गया है।

		शेयर प्रीमियम खाते की कमी से पूर्व		शेयर प्रीमियम खाते की कमी के पश्चात	
क्र.	श्रेणी	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	प्रवर्तक की धारिता : भारत सरकार	5386578326	92.49	5386578326	92.49
2	गैर प्रवर्तक धारिता : पब्लिक	437530974	7.51	437530974	7.51
	कुल	5824109300	100.00	5824109300	100.00

(ix) शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकार पूर्वाग्रहित रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। निदेशक मंडल ने 10 जुलाई, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक और इसके शेयरधारकों के श्रेष्ठ हित के लिए शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग के उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है।

निदेशक मंडल द्वारा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की जाती है। उपर्युक्त संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति की कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(ए. एस. राजीव) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांकः 15 जुलाई, 2020

स्थानः पुणे



एक परिवार एक बैंक

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411005

Notice

Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Tuesday, the 11th August, 2020 at 11.00 a.m. (IST) via Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 2

Issue of Equity shares of ₹10/- each of the Bank to Government of India on preferential basis:

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), Government of India ("GOI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modification/s thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges, where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot 73,60,49,601 Equity Shares of ₹10/each (Rupees Ten only) for cash at ₹11.29 per share (including premium) as determined in accordance with Regulation 164 of SEBI ICDR Regulations aggregating to ₹831/- Crore (Rupees Eight Hundred and Thirty One Crore only) on Preferential basis to Government of India ("GOI").

RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is fixed as 10th July, 2020.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where equity shares of the Bank are listed on the date of allotment of new equity shares.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approvals thereto expressly by the authority of this Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other Officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Item no.3:

To raise Equity Capital through FPO/Rights issue/QIP/ Preferential issue etc.,

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations"), as amended up to date / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹10 each, aggregating to not more than ₹2,000/- crore (Rupees Two Thousand Crore only) being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the Shareholders, Employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Portfolio Investors ("FPIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be either by way of Public issue, Rights issue, Qualified Institutional Placements (QIPs), Preferential issue or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations), the Act, the provisions of the Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorisation to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or to Executive Director/(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Item No. 4

To set off the accumulated losses of the Bank as of 31.03.2020.

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended, Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949 (BR Act), including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the Bank's accumulated losses of ₹7349,50,10,888.86 (Rupees Seven Thousand Three Hundred Forty Nine Crore Fifty lacs Ten Thousand Eight Hundred Eighty Eight and Paise Eighty Six only) as at 31.03.2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account and Special Reserve Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2020-21.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board for the said purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit."

By order of Board of Directors

Date: 15th July, 2020(A.S. Rajeev)Place: PuneManaging Director and CEO

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business item No. 2, 3 and 4 at the meeting is annexed hereto

2. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the AGM ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the 17th AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office shall be deemed to be the venue of the AGM.

3. APPOINTMENT OF PROXY:

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the investor_services@mahabank. co.in not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Friday, 07th August, 2020.

- 5. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.
- 6. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depositories. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL https://www.evotingindia.com
- 7. Since the AGM will be held through VC/OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.
- 8. The facility to attend the AGM through VC/OAVM will be provided through the Central Depository Services of India Limited (CDSL). The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC/OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.
- 9. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC / OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Members (Members holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
- Shareholders of Bank, who have not registered their email addresses with Bank / Depositories / RTA can obtain the Notice of AGM and Annual Report 2019-20 by sending email to <u>investor_services@mahabank.co.in</u> / <u>helpdeskmum@mcsregistrars.com</u>

11. Book Closure:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from the Wednesday, 05th August, 2020 to Tuesday 11th, August, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 17th Annual General Meeting. The Cut-off for the purpose of remote e-voting and voting at the AGM is Tuesday, 04th August. 2020. Any person who is not a member on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.

- 12. In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Bank will be entitled to vote at the AGM.
- 13. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM are requested to write to the Bank on or before Wednesday, 05th August, 2020 through email on investor_services@mahabank.co.in. The same will be replied by the Bank suitably.

14. Updation of Change of Address / Bank Particulars / Bank Account Mandate / Email id:

The Members who are holding shares in demat form and have not yet registered their e-mail IDs, mobile numbers and other KYC Details are requested to register the same with their Depository Participant at the earliest, to enable the Bank to use the same for their contacts and serving documents to them electronically, hereinafter. Members holding shares in physical mode are requested to provide, if not provided earlier, their e-mail Ids, mobile numbers, Bank Details and other KYC Documents including PAN, to the RTA at following address:

MCS Share Transfer Agent Limited,

(Unit: Bank of Maharashtra)

Office no.201, D-Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate Building, Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area, Behind Times Square,

Andheri (East), Mumbai – 400 059 Tel: 022 28516020/ 21/ 22/ 23

Email: helpdeskmum@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com

15. Consolidation of Folios:

The shareholders holding shares in physical form in identical order of names under more than one folio/account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

16. Dematerialization of Physical Holdings:

SEBI has recently amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 01st April, 2019. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted by the RTA.

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in securities market. Shareholders holding shares in electronic format, therefore, are requested to submit their PAN to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. Shareholders holding shares in physical form may submit their PAN and other details to the Bank's R&T Agents in accordance with SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20th April. 2018.

17. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013.

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the financial years (2012-13 and onwards) are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Department at Pune.

18. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda item either through remote e-voting or voting at the meeting.

19. E-Voting process:

a) CUT-OFF DATE FOR AGENDA ITEM NO. 1, 2, 3 and 4:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders in respect of agenda items No.1, 2, 3 and 4 shall be reckoned as on Tuesday, 04th August, 2020.

b) REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. Remote E-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in Physical or in Dematerialized form, as on the Cut – off Date and / or on the Specified Date may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders from 09:00 a.m. on Saturday, 08th August, 2020 till 05:00 p.m. on Monday, 10th August, 2020 and the e-voting platform will be disabled thereafter.

I. The process and manner for remote e-voting are as under:

- a) Follow steps to cast E-vote:
 - (i) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evotingindia.com/
 - (ii) Click on Shareholder Login
 - (iii) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

OR

Alternatively, if you are registered for CDSL's EASI/EASIEST e-services, you can log-in at https://www.cdslindia.com from Login - Myeasi using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's EASI/EASIEST e-services, click on e-Voting option and proceed directly to cast your vote electronically.

- (iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to <u>www.evotingindia.com</u> and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)
	Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field.
	In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank/ RTA's records in order to login.
OR Date of Birth (DOB)	If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

- (x) Click on the relevant EVSN for the relevant <BANK OF MAHARASHTRA > on which you choose to vote.
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

For Agenda Items No.1,2, 3 and 4

- (xiii) On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder of the Bank as on the Cut-off Date (04th August, 2020) will appear.
- (xiv) In respect of Agenda items no.1,2,3 and 4, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "SUBMIT" and also "CONFIRM" when prompted.
- (xv) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the agenda item, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xviii) If you are holding shares in electronic form and have forgotten the login password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xx) Note for Non Individual Shareholders and Custodians
 - a) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to <u>www.evotingindia.com</u> and register themselves as Corporates.
 - b) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and cc to scrutiniser@snaco.net
 - c) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - d) The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - e) A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

b) Shareholders may visit Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in – Investor Services link on home page for updated e-voting instructions.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM:

- 1. Shareholder attending the AGM may access the VC/OAVM facility through the CDSL e-Voting system at https://www.evotingindia.com under Shareholders/ Members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of the Bank will be displayed.
- 2. Members are requested to join the AGM through Laptops / IPads for better experience.
- 3. Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 4. Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- 5. Members who would like to express their views / ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance through e-mail during the period from 05th August, 2020 (9.00 a.m. IST) to 07th August, 2020 (5.00 p.m. IST) mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in

- 6. The Members who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance till 05th August , 2020 (5.00 p.m. IST) mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
- 7. Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR E-VOTING DURING THE AGM:

- 1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- Only those Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions
 through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available
 during the AGM.
- 3. If any Votes are cast by the Members through the e-voting available during the AGM and if the same Members have not participated in the meeting through VC/OAVM facility then the votes cast by such Members shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the Members attending the meeting.
- Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

20. SCRUTINIZERS AT E-VOTING AT AGM:

M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane shall act as Scrutinizer for both the remote e-voting and e-voting process to be conducted at the 17th AGM.

21. RESULTS OF E-VOTING:

The Results of the voting at the AGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT:

Agenda item no.2:

DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018.

a. Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its communication dated 17th March, 2020 has informed the Bank about infusion of Capital to the tune of ₹831/- Crore (Rupees Eight Hundred and Thirty One Crore only) by way of preferential allotment of equity shares in favour of the Government of India (GoI). GoI has also remitted the application money on 20th March, 2020 and the same is maintained in a separate account. The Board of Directors has approved the proposal of issuing equity shares of Bank aggregating upto ₹831/- Crore (including premium) to Government of India on preferential basis on 10th July, 2020. The Capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund the Bank's Business growth.

b. Maximum number of specified securities to be issued:

Pursuant to Regulation 161 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the Relevant Date is fixed as Friday, 10th July, 2020 and the Issue Price is calculated in accordance with Regulation 164 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. Based on the Relevant Date, the Issue Price works out to be ₹11.29 per equity share. The Bank will issue and allot 736049601 equity shares of ₹ 10/- each of Bank to Government of India aggregating to ₹831/- Crore.

c. Shareholding Pattern before and after the Issue:

Before issue:

Sr. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
31. NO.	Category	No of Shares held	% share holding	No of Shares held	% share holding
Α	Promoter Holding	5386578326	92.49	6122627927	93.33
В	Non Promoter Holding	437530974	7.51	437530974	6.67
	Total	5824109300	100.00	6560158901	100.00

- d. As the entire issue is being made to the Government of India, (the major shareholder and promoter of the Bank), there would not be any change in the management / control of the Bank.
- e. The allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of such resolution provided that where any application for exemption from the applicability of SEBI (SAST) Regulations, 2011 or any approval or permission by any Regulatory Authority or the Central Government for allotment is pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

- f. All the shares proposed to be issued and allotted under Preferential Issue to the Government of India (GoI) shall be locked in for period of one / three year(s) from the date of 'trading approval' of new equity shares granted by the Stock Exchanges in terms of Regulation 167 of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as applicable.
- g. The entire pre-preferential shareholding of Government of India will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of 'trading approval' of new equity shares.
- h. The Certificate issued by the Statutory Central Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations shall be available on the website of Bank and at the Head Office of Bank till the date of announcement of results of the AGM considering the proposed preferential issue.
- i. The Bank undertakes to re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so.
- j. The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.
- k. The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- I. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. Further, all the equity shares held by the Government of India (GOI) in the Issuer Bank are held in Dematerialized Form.
- m. Since the Shareholding of Gol is more than 75% before the proposed preferential issue, obtaining exemption the applicability of SEBI SAST Regulations, 2011 is not required.
- n. As the Bank or its Promoter or any of its Directors is not a willful defaulter, disclosures as specified in Schedule VI to the ICDR Regulations are not applicable.
- o. None of the Directors of the Bank has been declared as a fugitive economic offender.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

ITEM NO. 3: TO RAISE CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS ISSUE/QIP/ PREFERENTIAL ISSUE ETC.,

- (i) As per RBI guidelines under Basel III the Bank should maintain a minimum CRAR of 10.875% of its Risk Weighted Assets (RWA) as of 31.03.2020, including stipulation of the minimum Common Equity Tier I Capital (CET 1) of 5.50%. As per the RBI prescribed phased programme, the Banks should provide every year Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% from March 2016 to March 2019 and the CCB should be in the form of CET 1. However, RBI has deferred implementation of the last tranche of 0.625% from 31.03.2019 to 31.03.2020. The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.03.2020 was at 13.52% as per Basel III, of which Tier I capital (including CCB) was 10.67%. To meet the additional requirement on account of CCB and to provide necessary capital for the annual business growth, Bank has assessed a (CET 1) Capital requirement of around ₹2,000/- Crore for the financial year 2020-21.
- (i) The required capital as above is proposed to be raised from market by way of FPO/Rights Issue/QIP/ Preferential issue etc., These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.
- (ii) The equity capital as above said will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (iii) The Board of Directors at its meeting held on 10th July, 2020 had given their approval to raise an equity capital upto ₹2000/- crore (including share premium) through the different available options.
- (iv) The approval of the Shareholders of the Bank was obtained in the 16th Annual General Meeting held on 27th June, 2019 for raising of capital through FPO/Rights Issue/QIP/ Preferential issue etc., upto ₹3,000/- crore. As per the SEBI Regulations, the validity of the resolution is restricted to twelve months for such QIPs. Keeping in view the future requirements, the approval of the shareholders of the Bank is hereby sought once again.
- (v) The equity shares issued shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

ITEM NO. 4:

SET OFF THE ACCUMULATED LOSSES OF BANK AS OF 31.03.2020:

- (i) The Bank proposes to set off the accumulated losses of ₹7349,50,10,888.86 (Rupees Seven Thousand Three Hundred Forty Nine Crore Fifty lacs Ten Thousand Eight Hundred Eighty Eight and Paise Eighty Six only) as at 31.03.2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account and Special Reserve Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2020-21.
- (ii) The effect of the aforesaid proposed Share Premium Reduction, if approved and finalised, would be that the accumulated losses, which as on 31.03.2020 stood at ₹7349,50,10,888.86 (Rupees Seven Thousand Three Hundred Forty Nine Crore Fifty lacs Ten Thousand Eight Hundred Eighty Eight and Paise Eighty Six only), will accordingly stand reduced.
- (iii) The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.
- (iv) The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plans in a time-bound manner.
- (v) The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available assets and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended by (Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020) allows a nationalized bank to appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- (vi) As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which permits the reduction of paid up capital of the Bank with the approval of the shareholders by way of a Special Resolution.
- (vii) Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period. The Bank has obtained necessary approvals in this regard.
- (viii) The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in P& L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Sr.			ior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
No	Category	Number of Equity shares held	Percentage of Shareholding	Number of Equity shares held	Percentage of Shareholding	
1	Promoter's Holding: GOI	5386578326	92.49	5386578326	92.49	
2	Non Promoter Holding: Public	437530974	7.51	437530974	7.51	
	Total	5824109300	100.00	5824109300	100.00	

(ix) The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected. The Board of Directors at its meeting held on 10th July, 2020 have approved the above proposal of utilization of Share Premium account and Special Reserve Account in the best interests of the Bank and its Shareholders.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the Resolution.

By order of Board of Directors

Date: 15th July, 2020(A.S. Rajeev)Place: PuneManaging Director and CEO

निगमित अभिशासन में हरित पहल - कागज मुक्त बनें !!

कार्पेरिट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ('मंत्रालय') द्वारा हाल ही में ''निगमित अभिशासन में हरित पहल'' की है जिसके जिरए कंपनियों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कागज मुक्त अनुपालन हेतु अनुमित दी है। इस दिशा में हाल ही के दिनांक 21.04.2011 के परिपत्र क्र. 17/2011 तथा दिनांक 29.04.2011 के परिपत्र क्र. 18/2011 का संदर्भ लें, जिसमें स्पष्ट है कि अब कंपनियों द्वारा शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से विभिन्न नोटिस/ दस्तावेज (अर्थात वार्षिक साधारण बैठक, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि) भेजे जा सकते हैं। यह बैंक, शेयरधारकों तथा संपूर्ण समाज के लिए एक स्वागत योग्य कदम है इससे तेजी से संप्रेषण की सुविधा, कागज की खपत काफी हद तक कम करने तथा शेयरधारकों को हिरत वातावरण में योगदान देने हेतु अनुमित मिलेगी।

ई-संप्रेषण हेतु पंजीकरण के फायदे

- तत्परता से संप्रेषण प्राप्ति
- कागज की खपत में कमी तथा वृक्ष बचाव
- पोस्टल ट्रांजिट में दस्तावेजों के नुकसान से बचाव
- कागज और पोस्टेज पर खर्च से बचाव

यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) के शेयरधारकों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि वे हरित पहल में अपना योगदान दे सकें।

इस सुविधा को लेने हेतु आवश्यकताएँ निम्नानुसार हैं:

भौतिक रूप से शेयरधारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए: कृपया वार्षिक साधारण बैठक नोटिस में दिए गए ईमेल-आईडी पंजीकरण फॉर्म भरकर भिवष्य में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संप्रेषण प्राप्त करने के लिए बैंक/ आरटीआई में अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करें तथा इसे उचित रूप से भरकर व हस्ताक्षर कर रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट को वापस प्रेषित करें।

डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए : कृपया अपने निक्षेपागार सहभागी (डिपोजिटरी पार्टिसीपेंट) या बैंक में अपना ईमेल-आईडी अद्यतित करें।

कृपया नोट करें कि, यदि अब भी आप सभी संप्रेषणों व दस्तावेजों की हार्ड प्रति/ भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, बैंक आपको बिना किसी अतिरिक्त खर्च के यह प्रदान करेगा।

आप हमारी वेबसाइट https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp से ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। हरित पहल में आपके सक्रिय सहभागिता की आशा करते हैं।

धन्यवाद

भवदीय.

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

हस्ताक्षर

(चन्द्रकांत भागवत)

कंपनी सचिव



GREEN INITIATIVE IN CORPORATE GOVERNANCE - GO PAPERLESS!!!

Dear Shareholder,

The Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('Ministry'), has recently taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In terms of the recent circulars bearing no. 17/2011, dated 21.04.2011 and 18/2011 dated, 29.04.2011, whereby companies can now send various notices/ documents (e.g. Notice of AGM, Annual Reports etc.) to their shareholders through electronic mode at the registered e-mail addresses of the shareholders. It is a welcome move for the Bank, Shareholders and Society at large as it will facilitate faster communication and reduce paper consumption to a great extent and allow shareholders to contribute towards the greener environment.

Advantages of Registering for E-Communication:

- · Receive communication promptly;
- Reduce paper consumption and save trees;
- Avoid loss of document in postal transit;
- Save costs on paper and postage.

This is also a golden opportunity for every Shareholder of Bank of Maharashtra (the Bank) to contribute to this green initiative.

Below are the requirements for availing this facility:

- For shareholders having shares in physical mode: Please get your e-mail ID registered with the Bank/ RTA to receive communication(s) through electronic mode in future, by filing up the Email ID Registration form given in AGM Notice and send it back to the Registrar & Transfer Agent duly filled in and signed.
- For shareholders having shares in dematerialized mode: Please update your email ID with your Depository Participant(s) or Bank.

Kindly note that, if you still wish to get a hard copy/ physical copy of all the communication and documents, the Bank will provide the same at no extra cost to you.

You can also download the Email ID Registration form from our website https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.

Looking forward to your active participation in this green initiative.

Thanking you.

Yours sincerely,

For Bank of Maharashtra

Sd/-

(Chandrakant Bhagwat)

Company Secretary

र्ड-मेल आईडी पंजीकरण फॉर्म

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेन्ट लिमिटेड (आरटीए) युनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

ऑफिस क्र. 201, दूसरी मंजिल, डी-विंग गोकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट, सागबाग मारोल इंडस्ट्रियल एरिया, टाइम स्क्वेयर के पीछे

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059 फोन: (022) 28516020/21/22

ई-मेल : helpdeskmum@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com

प्रिय महोदय/ महोदया.

विषय: र्डमेल आईडी का पंजीकरण

मैं बैंक की ओर से इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज इत्यादि जैसे सभी भविष्य के शेयरधारक संप्रेषण प्राप्त करने हेत् सहमत हूँ। कृपया ईमेल के जरिए नोटिस/ दस्तावज इत्यादि सभी भेजने के लिए मेरा ईमेल आईडी आपके रिकॉर्ड में पंजीकृत करें।

1.	प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	
2.	रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक/ डीपीआईडी व ग्राहक क्र.	
3.	पता	पिन कोंड -
4.	ई-मेल आईडी	
5.	संपर्क क्रमांक	TIBL//C/
नोट:		

नोट:

- शेयर धारकों से अन्रोध है कि जब कभी भी ईमेल आईडी में परिवर्तन किया जाता है बैंक को सूचित करें। जब तक आपके द्वारा लिखित रूप से अन्य संप्रेषण द्वारा ईमेल आईडी परिवर्तित नहीं किया जाता तब तक बैंक आपके द्वारा दिए गए उपर्युक्त लिखित ईमेल आईडी पर नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज इत्यादि निरंतर भेजता रहेगा।
- यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में धारित है, कृपया आपके डीपी के पास आपका ईमेल आईडी पंजीकृत करें।

मैं / हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है।

दिनांक स्थान

(शेयरधारक के स्ताक्षर)

Email ID Registration form

To,

MCS Share Transfer Agent Limited (RTA) Unit: Bank of Maharashtra

Office no.201, D-Wing, 2^{nd} Floor, Gokul Industrial Estate Building, Sagbaug,

Marol Co-op Industrial Area, Behind Times Square, Andheri (East), Mumbai - 400 059

Tel: 022 28516020/ 21/ 22/ 23

Email: helpdeskmum@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com /

Dear Sir/ Madam,

Sub: Registration of Email ID

I agree to receive all future shareholders communication like Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ Documents etc. from the Bank in electronic mode. Please register my e-mail id in your records for sending all the notices / documents etc. through e-mail.

1.	First / Sole Shareholder's name:	
2.	Registered Folio No/ DP ID & Client ID.:	
3.	Address:	
	/ - //	Pin code:
4.	Email ID:	
5.	Contact Nos.:	
is cha Repo	areholders are requested to keep Bank inform	
I here	eby declare that the particulars given above ar	e correct and complete.
Date:		
Place	:	(Signature of Shareholder)

ईसीएस फॉर्म

(केवल भौतिक रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए)

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेन्ट लिमिटेड (आरटीए) यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

ऑफिस क्र. 201, दूसरी मंजिल, डी-विंग गोकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट, सागबाग मारोल इंडस्ट्रियल एरिया, टाइम स्क्वेयर के पीछे

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059 फोन: (022) 28516020/21/22

ई-मेल : helpdeskmum@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय: डाक पते के साथ बैंक खाते/ पैन/ ई-मेल आईडी के ब्यौरों का अद्यतन

मैं / हम अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/ हमारे फोलियो क्रमांक में निम्नलिखित जानकारी को अद्यतन/ दर्ज करें -

1.	प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	
2.	रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक	
3.	чп	
	W3H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	पिन कोड -
4.	ई-मेल आईडी	
5.	पैन क्रमांक	
6.	संपर्क क्रमांक	
7.	बैंक खाते का विवरण	
	1. बैंक का नाम	//0/
	2. शाखा नाम और पता	///
		पिन कोड -
3.	खाता क्रमांक	
4.	बैंक शाखा का आईएफएससी कूट	00,
5.	एमआईसीआर क्रमांक	

(उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया पते के साक्ष्य, पैन और अपने निरस्त कोरे चेक (वर्तमान सक्रीय खाते का) की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

मैं / हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है।

दिनांक स्थान

(शेयरधारक के स्ताक्षर)

ECS Form

(for Shareholders holding physical shares only)

To,

MCS Share Transfer Agent Limited (RTA) Unit: Bank of Maharashtra

Office no.201, D-Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate Building, Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area,

Behind Times Square, Andheri (East), Mumbai – 400 059

Tel: 022 28516020/ 21/ 22/ 23

Email: <u>helpdeskmum@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com</u>

Dear Sir/ Madam,

Sub: Updation of details of Bank Account / PAN/ Email ID along with postal address.

I/ We request you to record/ update the following information against my/ our Folio No:

1.	Firs	st / Sole Shareholder's name:	
2.	Re	gistered Folio No.:	
3.	Add	dress:	
			Pin code:
4.	Em	ail ID:	
5.	PAI	N No.:	
6.	Coi	ntact Nos.:	
7.	Par	rticulars of Bank Account:	
	a.	Bank Name	
	b.	Branch Name and its address	
			Pin code:
	C.	Bank Account Number	
	d.	IFSC code of the Bank Branch	
	e.	MICR No.	
deta	ils).	enclosed self-attested copy of Address proc declare that the particulars given above are o	of, PAN and cancelled Cheque (of presently active a/c) for verification of the above correct and complete.
Date			
Plac	e:		(signature of Shareholder)

This page has been intentionally left blank



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक